(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 526/चार/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2000– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण 74/1999–2000 अपील

रघुनाथसिंह पुत्र बच्चूसिंह ठाकुर
ग्राम उथनपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक – श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 74/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–2000 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने मृत महिला कलावती पत्नि स्वर्गीय हवलदार सिंह के स्थान पर ग्राम वॉसड़ की भूमि सर्वे क्रमांक 227,229,230, 235 रकबा 2.69 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की, जिस पर से नायव तहसीलदार वृत्त फूफ ने प्रकरण क्रमांक 22/97-98 अ 6 दर्ज करके सुनवाई कर आदेश दिनांक 10.8.98 पारित किया तथा आवेदक का नामांत्रण आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 9/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.99 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 74/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2000 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नामान्तरण धारा 109 के प्रावधानों के अधीन स्वत्व प्राप्ति पर होता है और वर्तमान में आवेदक को स्वत्व प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने बसीयत को पूरी तरह से नहीं देखा है बसीयतनामे को पढ़ने से बसीयत नामान्तरण किये जाने पर लागू है। बसीयत में विवादित भूमि अंकित न होने से बसीयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक ने जो नायव तहसीलदार न्यायालय में बसीयत प्रस्तुत की है वह बसीयत मृतक महिला कलावती ने उसकी ग्राम उद्धनपुरा स्थित भूमि के सम्बन्ध में लिखवाई है जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम वॉसड़ में स्थित है एंव बसीयत में ग्राम वॉसड़ की भूमि सर्वे कमांक 227,229,230, 235 रकबा 2.69 हैक्टर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है, जिसके कारण इस भूमि पर नायव तहसीलदार फूफ ने बसीयत को नामान्तरण के लिये अप्रभावी माना है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने नायव तहसीलदार फूफ के आदेश दिनांक 10.8.1998 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 74/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2000 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर